संख्या-4653/सैंतीस-2-2013-35(5)/84

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

लखनऊ :: दिनांक 21 फरवरी, 2014

पशुधन अनुभाग-2

विषयः- पशुपालन विभाग के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन, उपकरणों आदि के क्रय हेतु नीति निर्धारण के संबंध में ।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि पशुपालन विभाग में विभिन्न जनपदों में कतिपय आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा गुणवत्तायुक्त पशु औषधियों की आपूर्ति नहीं की जा रही है एवं आपूर्ति की जाने वाली औषधियां मानक के अनुरूप नहीं हैं। उक्त शिकायतों के क्रम में कतिपय जिलों तथा निदेशालय में दवाओं की सैम्पलिंग औषधि नियंत्रक, उ0प्र0 के द्वारा करायी गयी, जिसमें लगभग 20-21 सैम्पलिंग अधोमानक पायी गयी तथा संबंधित फर्मों के विरूद्ध प्राप्त सूचना के अनुसार कार्यवाही भी प्रचलित है।

2- पशुपालन विभाग में औषधि/वैक्सीन/उपकरणों आदि के क्रय हेतु वर्तमान में शासनादेश संख्या-708/सैंतीस-2-2004-33(5)/84 दिनांक 06.05.2004, शासनादेश संख्या-2379/सैंतीस-2-2004-33(5)/84 दिनांक 05.08.2004 एवं तद्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-1634/सैंतीस-2-2013-33(5)/84 दिनांक 20.04.2013 प्रभावी हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों के अनुक्रम में निम्नवत् संशोधन किये जाने के निर्णय लिये गये हैं :-

1. औषधि/उपकरण क्रय किये जाने हेतु राज्य योजना एवं जिला योजना के अन्तर्गत आवंटित कुल बजट में से 80 प्रतिशत औषधियों/उपकरणों के लिए प्राप्त धनराशि जिलों में आवश्यकतानुसार वितरित की जाय तथा 20 प्रतिशत धनराशि मुख्यालय स्तर पर आकस्मिकता के लिए रोक ली जाय।
2. औषधि/उपकरण के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष के लिए दर-अनुबन्ध की कार्यवाही पशुपालन निदेशालय स्तर पर की जायेगी। दर अनुबन्ध प्रत्येक वर्ष के लिए 01 जनवरी से 31 मार्च तक पूर्ण कर ली जाय, जो आने वाले वित्तीय वर्ष में लागू होगी। दर अनुबन्ध निर्धारण में विलम्ब होने पर अगले दो माह की अवधि बढ़ाने हेतु शासन की अनुमति प्राप्त की जाय। औषधियों/उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
3. उपकरणों के क्रय के लिए यह आवश्यक है कि मैन्युफैक्चर्स के पास यू0एस0एफ0डी0ए0 प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो।
4. औषधि निर्माताओं को दर अनुबन्ध में सम्मिलित होने की अनुमति तभी दी जाय, जिसका संबंधित उत्पादित औषधि के कुल टर्न ओवर का 50 प्रतिशत की आपूर्ति खुले बाजार में की जा रही हो।
5. निविदा के साथ निविदत्त प्रत्येक औषधि के पॉच-पॉच सैम्पल उपलब्ध कराये जांय तथा उनकी औषधि नियंत्रक उ0प्र0 द्वारा संतोषजनक गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही दर निर्धारण संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जाय।

6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-711/18-2-2013-71क/99 दिनांक 21.05.2013 का अनुपालन किया जाय, जिसके अनुसार इस प्रकार की कोई भी टेण्डर शर्त न लगायी जाय, जिससे लघु औद्योगिक इकाईयां पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्द्धा से बाहर हो जायं।

7. शासनादेश संख्या-708/सैंतीस-2-2004-33(5)/84 दिनांक 06.05.2004 द्वारा पशुपालन विभाग के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन, उपकरणों आदि के क्रय हेतु गठित क्रय समिति के द्वारा ही दर अनुबन्ध निर्धारण किया जायेगा।

4- उपरोक्त शासनादेशों में शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेगें। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-4653(1)/सैंतीस-2-2013तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार/लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/लेखा अनुभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. अपर निदेशक, बी0पी0 संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ।
3. अपर निदेशक (गोधन विकास) पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक(रोग नियंत्रण) पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर।
6. प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन/प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा।
7. मुख्य ड्रग कन्ट्रोलर, उ0प्र0 लखनऊ।
8. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
10. उपनिदेशक, प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
12. औद्योगिक विकास अनुभाग-7/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमर सेन सिंह)
उप सचिव